राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1486/2023

कैलाश चन्द्र **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), दौसा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.06.2023
आदेश की दिनांक : 08.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बाबूलाल बैरवा एवं श्री रोशन लाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करते हुये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 24.03.1993 को हुई थी और उसने

दिनांक 03.04.1993 को कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.10.1997 के द्वारा प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किया गया और अपीलार्थी के 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सेवा लाभ आदि दिया गया, जो आदेश दिनांक 11.05.2012 के द्वारा प्रदान किया गया और अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.03.1993 एवं कार्यग्रहण दिनांक 03.04.1993 है और इस प्रकार 27 वर्ष की सेवा वर्ष 2000 में पूर्ण होती है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी की भांति अन्य कार्मिकों को उक्त लाभ माननीय अधिकरण द्वारा प्रस्तुत अपील 6158/2021 बलराम मीणा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2022 के द्वारा प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी भी अन्य कार्मिकों की भांति 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करते हुये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। अपीलार्थी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी एवं आदेश दिनांक 07.08.1998 के द्वारा उसका समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय श्रेणी के पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम सीधी नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड–पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं

तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया हैं। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200 में वेतन देय है। तत्पश्चात 2700 वर्षीय एसीपी पर 4800 ग्रेड पे में वेतन देय है और इस प्रकार तृतीय श्रेणी अध्यापक के पुनरीक्षित वेतनमान, 2008 में दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रूपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं, इस प्रकार अपीलार्थी अध्यापक के पद का चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) नियमानुसार लाभ प्रदान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य